न्यायालय प्रथम सिविल जज (जू0डि0), कासगंज।

Misc.No. –17/2022
CNR NO-UPKR06000680.2022
JO CODE- UP-2579

श्रीमती शशिवाला मिश्रा बनाम एस्टेट ऑफ बृहमेश कुमार मिश्रा आदि।

07.12.2022

पत्रावली आज प्रार्थना पत्र 4सी2 पर आदेश हेतु नियत है जिस पर प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 4सी2

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थिया श्रीमती शशिवाला मिश्रा द्वारा अर्न्तगत धारा–372, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 मृतक बृहमेश कुमार मिश्रा का उत्तराधिकारी श्रीमती शशिवाला मिश्रा को घोषित करके बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कायमगंज, तहसील कायमगंज जनपद फरूर्खाबाद की खाता संख्या–760510110003206 में जमा धनराशि मुव0 2,90,000/–रूपया मय ब्याज के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रार्थिया श्रीमती शशिवाला मिश्रा द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थिया, मृतक बृहमेश कुमार मिश्रा की पत्नी है। प्रार्थिया, मृतक की विधिक वारिस है। मृतक बृहमेश कुमार मिश्रा द्वारा बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कायमगंज, तहसील कायमगंज जनपद फरूर्खाबाद की खाता संख्या–760510110003206 में जमा धनराशि मुव0 2,90,000/–रूपया जमा है, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थिया को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थिया द्वारा अपने कथन के समर्थन में **फेहरिस्त दस्तावेज 6सी1** से असल बैंक पासबुक 7सी1, एक किता कार्यालय जिलाधिकारी एटा द्वारा जारी पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति 8सी1, एक किता परिवार रजिस्टर की सत्यापित प्रतिलिपि 9सी1, एक किता मृत्यु प्रमाण पत्र बृहमेश कुमार मिश्रा की मूलप्रति 10सी1, एक किता आधार कार्ड शशिवाला मिश्रा की छायाप्रति 11सी1 प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में आपत्ति हेतु मुनादी व प्रकाशन कराया गया, लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है। प्रकाशन संलग्न है।

पत्रावली का परिशीलन किया।

मृत्यु प्रमाण पत्र 10ए1 के अवलोकन से प्रतीत हो रहा है कि बृहमेश कुमार मिश्रा की मृत्यु दिनांक–01.05.2021 को हो चुकी है। कार्यालय जिलाधिकारी, एटा द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र 8सी1 के अवलोकन से प्रतीत हो रहा है कि श्रीमती शशिवाला मिश्रा, मृतक की पत्नीं, वारिस है। श्री अभिषेक कुमार मिश्रा, श्री हिरदेश मिश्रा एवं श्री अनुपम मिश्रा द्वारा, प्रार्थिया श्रीमती शशिवाला मिश्रा के हक में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति ना होने का शपथपत्र दाखिल किया गया। समाचार पत्र में प्रकाशन कराये जाने तथा मुनादी कराये जाने के उपरान्त भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न तो मृतक का उत्तराधिकारी होने का दावा किया गया है और न ही कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा यह आख्या दी गयी है कि मृतक बृहमेश कुमार मिश्रा के बचत खाता संख्या– 760510110003206 में जमा धनराशि मुव0 2,99,653/–रूपया मय

ब्याज जमा है। अतः मृतक बृहमेश कुमार मिश्रा की उक्त जमा धनराशि के सम्बन्ध में प्रार्थिया के पक्ष में सशर्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिया श्रीमती शशिवाला मिश्रा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4सी2 स्वीकार किया जाता है। बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कायमगंज, तहसील कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद की खाता संख्या–760510110003206 में जमा धनराशि मु0 2,90,000/–रूपया मय ब्याज के सम्बन्ध में प्रार्थिया के पक्ष में निम्न शर्तो के अधीन उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है–

1–प्रार्थिया नियमानुसार न्याय शुल्क अदा करे।

2–प्रार्थिया 2,90,000/– (दो लाख नब्बे हजार रूपया) की अंडरटेकिंग व एक प्रतिभू इस आशय का प्रस्तुत करे कि यदि उक्त धनराशि के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रार्थिया न्यायालय के आदेशानुसार उक्त धनराशि न्यायालय में जमा करेंगी।

3–प्रार्थिया/आवेदिका द्वारा किये गये आवेदन धनराशि के संबंध में ही उक्त आदेश प्रभावी होगा।

दिनांक–07.12.2022

प्रथम सिविल जज (जू0डि0),
कासगंज।